वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम– 830

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा / प्रे. 1073 दि. 17.11.17

आदेश

विषयः– फीडरवार वरीयता संधारित करने के संबंध में।

वर्तमान में प्रचलित नियमों / प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू / अघरेलू श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों हेतु वरीयता ग्रामवार संधारित की जाती है। गत दिनों में विद्युत सुधार हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में 11 केवी फीडर को एक इकाई मानते हुए फीडर के अनुसार कार्य संपादित किये जा रहे है जिससे कि फीडर वाईज मॉनिटरिंग की जा सकें।

विभिन्न कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए 11केवी फीडर को सबसे छोटी यूनिट मानकर कार्य संपादित किये जा रहे थे, अतः बेहतर प्रबंधन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू / अघरेलू कनेक्शन के संबंध में वरीयता फीडरवार संधारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी संबंधित क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में घरेलू / अघरेलू विद्युत कनेक्शन की वरीयता फीडरवार संधारित की जावें।

सभी संबंधित अधिकारी उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

17/11/17

(एम. आर. मीणा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर